न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 484/2015
दायर दिनांक :– 01/02/2022
निर्णय दिनांक :– 01.09.2022

उनवान

1. श्री पारस पिता उदयलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. श्री देवीलाल पिता उदयलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
3. श्री राजमल पिता उदयलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
4. गीताबाई पिता उदयलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
5. लहरीबाई पिता उदयलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री विजय कुमार पिता मिठूलाल महाजन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. मंजूबाई बेवा मिठूलाल महाजन निवासी सांवता हा.मु. हनुमान मार्बल के सामने, भीलवाड़ा
3. ज्योति पिता मिठूलाल महाजन निवासी सांवता हा.मु. हनुमान मार्बल के सामने, भीलवाड़ा
4. सिटि पिता मिठूलाल महाजन निवासी सांगानेरी गेट हनुमान मार्बल के सामने, भीलवाड़ा
5. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री सुरेश बापना

–: निर्णय :–

वकील वादी की और से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है।

यह है कि मौजा सांवता पटवार हल्का, भूपालनगर तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात आ.नं. 1936 रकबा 1.40 है., आ.सं. 1937 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1938 रकबा 0.13 है., आ.सं. 1939 रकबा 0.59 है. किता 4 2.16 है. एवं आ.सं. 412 रकबा 0.02 है., आ.सं. 413 रकबा 0.16 है., आ.सं. 1925 रकबा 2.06 है., आ.सं. 1935 रकबा 1 है., आ.सं. 1984/1936 रकबा 0.30 है. किता 5 रकबा 3.54 है. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया है। इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिकी इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.07 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested

क.सं.	काश्तकार	आ[illegible]	रकबा है. में
1	श्रीमती पारसबाई पिता उदयलाल महाजन	1936 1937 1938	1.40 0.04 0.13

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

		1939	0.23
2	श्री विजयकुमार, ज्योति, सिटि पिता मिठूलाल, मंजूबाई पत्नी मिठूलाल महाजन	1939	0.36
3	श्री देवीलाल, राजमल, गीताबाई, लहरीबाई, पारसबाई पिता उदयलाल महाजन	1925 1935 1984/1936	1.50 1.00 0.30
4	श्री विजयकुमार, ज्योति, सिटि पिता मिठूलाल, मंजूबाई पत्नी मिठूलाल महाजन	1925	0.56
5	श्री देवीलाल 1/6, राजमल 1/6, गीताबाई 1/6, लहरीबाई 1/6, पारसबाई 1/6 पिता उदयलाल, विजयकुमार, ज्योति, सिटि पिता मिठूलाल, मंजूबाई पत्नी मिठूलाल 1/6 महाजन	412 413	0.02 0.16

इस आशय की अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.07 12:07:35 IST
Reason: SelfAttested